



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1521]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2016/ज्येष्ठ 26, 1938

No. 1521]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2016/ JYAISTHA 26, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2016

का.आ. 2133(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 35 के साथ पठित धारा 41 और विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 के नियम 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1070(अ) 26 अप्रैल, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, अधिसूचित करती है कि नीचे सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारी इस अधिनियम के अधीन अभियोजन को संस्थित करने से पूर्व स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों का उक्त सारणी स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने पर शमन कर सकेगा, अर्थात् :—

सारणी

| क्रम सं. | अपराध | शास्ति की रकम | शमन के लिए सक्षम अधिकारी |
|----------|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर के पश्चात् तीन मास तक रिटर्न प्रस्तुत न करना | वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की रकम की दो प्रतिशत शास्ति या दस हजार रुपए, इनमें से जो भी कम हो। | गृह मंत्रालय में विदेशी प्रभाग के विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खंड का भारसाधक निदेशक या उप निदेशक। |
| 2. | प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर के पश्चात् तीन मास के पश्चात् छह मास तक रिटर्न प्रस्तुत न करना | वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की रकम की तीन प्रतिशत शास्ति या पचास हजार रुपए, इनमें से जो भी कम हो। | गृह मंत्रालय में विदेशी प्रभाग के विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खंड का भारसाधक निदेशक या उप निदेशक। |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 3. | प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर के पश्चात् छह मास के पश्चात् एक वर्ष तक रिटर्न प्रस्तुत न करना | वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की रकम की चार प्रतिशत शास्ति या दो लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो। | गृह मंत्रालय में विदेशी प्रभाग के विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खंड का भारसाधक निदेशक या उप निदेशक। |
| 4. | प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर के पश्चात् एक वर्ष के पश्चात् दो वर्ष तक रिटर्न प्रस्तुत न करना | वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की रकम की पांच प्रतिशत शास्ति या पांच लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो। | गृह मंत्रालय में विदेशी प्रभाग के विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खंड का भारसाधक निदेशक या उप निदेशक। |
| 5. | प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर के पश्चात् दो वर्ष के पश्चात् तीन वर्ष तक रिटर्न प्रस्तुत न करना | वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की रकम की दस प्रतिशत शास्ति या दस लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो। | गृह मंत्रालय में विदेशी प्रभाग के विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खंड का भारसाधक निदेशक या उप निदेशक। |

[फा. सं. II/21022/23(052)2014/एफसीआरए-III]

जी. के. द्विवेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2016

S.O. 2133(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 41 read with section 35 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and rule 17 of the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1070(E), dated the 26th April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies that officer specified in column (4) of the table below, may, before institution of any prosecution under this Act, compound the offences specified in column (2), on payment of the amount specified in column (3), of the said table, namely:—

TABLE

| Sl. No. | Offence | Amount of Penalty | Officer competent for compounding |
|---------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Non-furnishing of return upto three months after the 31 st December every year | Penalty of two percent of the amount of foreign contribution received during the financial year or ten thousand rupees, Whichever is less | The Director or the Deputy Secretary in Charge of the Foreign Contribution (Regulation) Act Wing of Foreign Division in the Ministry of Home Affairs |
| 2 | Non-furnishing of return after three months upto six months after the 31 st December every year | Penalty of three percent of the amount of foreign contribution received during the financial year or fifty thousand rupees, Whichever is less | The Director or the Deputy Secretary in Charge of the Foreign Contribution (Regulation) Act Wing of Foreign Division in the Ministry of Home Affairs |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 3 | Non-furnishing of return after six months upto one year after the 31 st December every year | Penalty of four percent of the amount of foreign contribution received during the financial year or two Lakh rupees, Whichever is less | The Director or the Deputy Secretary in Charge of the Foreign Contribution (Regulation) Act Wing of Foreign Division in the Ministry of Home Affairs |
| 4 | Non-furnishing of return after one year upto two years after the 31 st December every year | Penalty of five percent of the amount of foreign contribution received during the financial year or five Lakh rupees, Whichever is less | The Director or the Deputy Secretary in Charge of the Foreign Contribution (Regulation) Act Wing of Foreign Division in the Ministry of Home Affairs |
| 5 | Non-furnishing of return after two years upto three years after the 31 st December every year | Penalty of ten percent of the amount of foreign contribution received during the financial year or ten Lakh rupees, Whichever is less | The Director or the Deputy Secretary in Charge of the Foreign Contribution (Regulation) Act Wing of Foreign Division in the Ministry of Home Affairs |

[F. No. II/21022/23(052)2014/FCRA-III]

G. K. DWIVEDI, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 939]
No. 939]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 29, 2013/वैशाख 9, 1935
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 2013/VAISAKHA 9, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2013

का.आ. 1070(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 41 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट करती है कि नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अधिकारी अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन संस्थित करने से पूर्व उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अपराधों का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने पर शमन कर सकेगा, अर्थात् :-

सारणी

| क्रम सं. | अपराध | शास्ति की रकम | शमन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी |
|----------|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के पश्चात् नब्बे दिन तक विवरणी प्रस्तुत न करना । | वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त रकम की दो प्रतिशत या दस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, की शास्ति । | गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग का विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खंड का प्रभारी निदेशक या उपसचिव । |
| 2. | प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के पश्चात् इक्यानवें दिन के पश्चात् एक सौ अस्सी दिन तक विवरणी प्रस्तुत न करना । | वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त रकम की तीन प्रतिशत या बीस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, की शास्ति । | गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग का विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खंड का प्रभारी निदेशक या उपसचिव । |
| 3. | प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर के पश्चात् एक सौ अस्सी दिन के पश्चात् विवरणी प्रस्तुत न करना । | वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त रकम की पांच प्रतिशत या पचास हजार रुपए, जो भी अधिक हो, के साथ एक सौ अस्सी दिन के पश्चात् विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रुपए की शास्ति । | गृह मंत्रालय में विदेशी प्रभाग का विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम खंड का प्रभारी निदेशक या उपसचिव । |

[सं. II/21022/23(49)/2012-एफसीआरए-III]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2013

S.O. 1070(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 41 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), the Central Government hereby specifies that the officer specified in column (4) of the Table below, may, before institution of any prosecution under this Act, compound the offences specified in column (2) of the said Table on payment of the amount specified in column (3) of the said Table, namely :—

TABLE

| S. No. | Offences | Amount of penalty | Officer competent for compounding |
|--------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Non-furnishing of return upto ninety days after 31st December every year. | Penalty of two per cent of the amount received during the Financial year or rupees ten thousand, whichever is higher. | The Director or Deputy Secretary in charge of the Foreign Contribution (Regulation) Act Wing of Foreigners Division in the Ministry of Home Affairs. |
| 2. | Non-furnishing of return after ninety one days upto one hundred and eighty days after 31st December every year. | Penalty of three per cent of the amount received during the Financial year or rupees twenty thousand, whichever is higher. | The Director or Deputy Secretary in charge of the Foreign Contribution (Regulation) Act Wing of Foreigners Division in the Ministry of Home Affairs. |
| 3. | Non-furnishing of return after one hundred and eighty days after 31st December every year. | Penalty of five per cent of the amount received during the Financial year or rupees fifty thousand, whichever is higher. with rupees five hundred per day of delay after one hundred and eighty days. | The Director or Deputy Secretary in charge of the Foreign Contribution (Regulation) Act Wing of Foreigners Division in the Ministry of Home Affairs. |

[No. II/21022/23(49)2012-FCRA-III]

V. VUMLUNMANG, Jt. Secy.